

ऑनलाइन  
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का  
अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन  
कर व उन्हें भली-भांति समझने  
के पश्चात आयोग की वेबसाइट  
पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का  
प्रिंट निकालकर आवश्यक  
जानकारियों की प्रविष्टि कर  
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।



प्रावधिक-पत्र  
विज्ञापन की शर्तों के  
अधीन

## छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001

फोन न. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 2019/49/चयन/2017

दिनांक 29 /12/2017

### साक्षात्कार-पत्र

### ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2017 (तकनीकी शिक्षा विभाग)


महोदय/महोदया,

ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2017 (तकनीकी शिक्षा विभाग) के साक्षात्कार हेतु तिथि एवं समय अनुक्रमांकवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार से एक दिवस पूर्व मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आपको आयोग कार्यालय में उसी समय पर उपस्थित होना होगा, जो समय आपके साक्षात्कार हेतु निर्धारित किया गया है।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।
- 2.1 सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।
- 2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.3 ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2017 (तकनीकी शिक्षा विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन की कंडिका (2) (A)/(B) के अनुसार (जो लागू होता हो) अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16.03.2017 तक का अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनई करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आय सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.11 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।  
छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी (OA, OL, OAL, B, LV, HH) निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
- 2.12 विज्ञापन क्र. 01/2017/परीक्षा/दिनांक 03/02/2017 की कंडिका (9)(vi) के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा। अतः दो से अधिक जीवित संतान है तो अंतिम संतान का जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.13 आपके द्वारा ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2017 (तकनीकी शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 एवं 2.5 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2017 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2017 (तकनीकी शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।

  
 परीक्षा नियंत्रक  
 छ.ग. लोक सेवा आयोग  
 रायपुर

**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर**  
साक्षात्कार समय-सारणी  
ग्रंथपाल परीक्षा-2017 (तकनीकी शिक्षा विभाग)

दस्तावेज सत्यापन का दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 09.00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01.00 बजे से)
08-01-2018 ✓	09-01-2018 ✓	1701100041 ✓	1701100188 ✓
		1701100059 ✓	1701100192 ✓
		1701100060 ✓	1701100236 ✓
		1701100065 ✓	1701100257 ✓
		1701100121 ✓	1701100265 ✓
		1701100134 ✓	1701100296 ✓
		1701100140 ✓	1701100307 ✓
		1701100161 ✓	1701100316 ✓
		1701100174 ✓	1701100332 ✓
09-01-2018 ✓	10-01-2018 ✓	1701100335 ✓	1701100421 ✓
		1701100336 ✓	1701100444 ✓
		1701100343 ✓	1701100449 ✓
		1701100358 ✓	1701100453 ✓
		1701100367 ✓	1701100454 ✓
		1701100379 ✓	1701100469 ✓
		1701100389 ✓	1701100478 ✓
		1701100396 ✓	1701100499 ✓
		1701100419 ✓	1701100515 ✓
10-01-2018 ✓	11-01-2018 ✓	1701100539 ✓	1701100652 ✓
		1701100548 ✓	1701100664 ✓
		1701100572 ✓	1701100677 ✓
		1701100604 ✓	1701100716 ✓
		1701100625 ✓	1701100742 ✓
		1701100635 ✓	1701100750 ✓
		1701100638 ✓	1701100755 ✓
		1701100647 ✓	1701100760 ✓
		1701100651 ✓	1701100803 ✓

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।


  
29/12/17  
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर

**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर**  
साक्षात्कार समय-सारणी  
क्रीडाधिकारी परीक्षा-2017 (तकनीकी शिक्षा विभाग)

दस्तावेज सत्यापन का दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 09.00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01.00 बजे से)
08-01-2018	09-01-2018	1701100840	1701100960
		1701100861	1701100967
		1701100889	1701100970
		1701100890	1701100974
		1701100891	1701101002
		1701100925	1701101006
		1701100947	1701101014
		1701100953	1701101046

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

  
29/12/17

परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर